

दिनांक 7/4/22 को पेश हो।

7/4/2022

वकील वादी अनुपरिवार है। वादीगण स्वयं अनुपरिवार न
न्यायस्थित में व वादीगणों के हितों को ध्यान में रखते
हुए पत्रावली में उपरिवाले बाबर वादीगणों/वकील
वादी को उपरिवाले बाबर रुक अख्तियार अवसर
दिया जाता है। पत्रावली आईन्वा दिनांक 29/4/22
को पेश ले।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

29/4/2022

वकील फरीकन उप/P.O. साहब का पत्र स्वानान्तर दोगथा है।
विगत है। पत्रावली आईन्वा आदेश
दि 3/6/22 को पेश हो।

3/6/2022

पत्रावली पेश हुए P.O. साहब अन्य वादी अनुपरिवार है।
कार्य न बन्द है। पत्रावली आईन्वा
दिनांक 22/7/22 को पेश हो।

22/7/22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपरिवाले नहीं है। वादीगण
स्वयं अनुपरिवार है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील
भी उपरिवाले नहीं है। बार - बार आवाजें लागवाई
गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपरिवाले
नहीं हुए। अतः राजस्व वाद पत्रा अदम हाजरी व
अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फेंकल
शुभारथी नम्बर सी डम डॉर हाथिल प्यतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)